न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 179/2024

रामकुमार पुत्र रामदेव जाति कुम्हार साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल | पिसरान मामराज जाति कुम्हार साकिन लिखमीसर
2. सुल्तानराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाण	प्रार्थी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई	अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राज पैरोकार	अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/08/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाण अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 100/87 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 6, 7, 8 की 0.759 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 49/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 912, 10/1, 10/2 की 0.531 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 48/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 2/1, 2/2, 9/1 की 0.028 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 137/81 के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 2/3, 5, 8 की 0.453 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पास आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के किला में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता हो होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि की डीएलसी दर से दौगुना राशि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। यह कि अप्रार्थी सं. 3 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है 1 यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक. यानी प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता के दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किया गया अधिवक्ता श्री औम प्रकाश आरोड़ा की ओर से वकालतनामा मय जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधिंत है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य सुविधाजनक रास्ता है। मैना बनाम सुल्तान आदि एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में जैरकार था जिसके प्रकरण सं. 29/2025 है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को निर्णय कर चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 21/1/0.013, 22/0.013 कुल 0.026 हैक. रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रास्ता मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से ही स्वीकृत किया गया है। अब प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 15 बीघा भूमि पूर्व में रामदेव कुम्हार के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ। मिन अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में मैना देवी को किला नं. 21 व 22 में रास्ता दिया जा चुका है। अब प्रार्थी अपने परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज कृषि भूमि में से किला नं. 13, 18, 23 में से नया रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है जो रास्ता मौके पर चालू नही रहा है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। यदि किला … में से कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि टुकड़ो में विभाजीत हो जायेगी। इसलिये प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार पीलीबंगा की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 647 दिनांक 29.07.25 से प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प.नं. 10/289(26) कि.नं. 9–10 में मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि चाहा गया रास्ता कम दूरी का रास्ता है स्वीकृत किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि अन्य रास्ता अप्रार्थी की भूमि से पूर्व में स्वीकृत शुदा है जो इस रास्ता को स्वीकृत न किया जावे क्योंकि प्रार्थी की कृषि भूमि के टूकड़े हो जायेगे। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है इस लिए तहसीलदार रिपोर्ट के धारार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है अतः अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 10/289 (26) किला नं. 9/1/.002, 9/2/.002, 9/3/.021, 10/1/.025 हैक्. यानी प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर के रूप में प्रार्थी से रास्ता के प्रतिकर के रूप में डीएलसी की दूगना राशि जमा खजानाराज करवाया जाकर आदेशों की पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अन्य वाद/स्थगन नहीं है तो अमलदरामद करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/08/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा